



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]  
No. 76]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2007/माघ 4, 1928  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2007/MAGHA 4, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2007

का.आ. 79(अ).—जबकि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(त), धारा 12(3) और धारा 18 के उपबंधों के अनुसार कांडला डॉक लेबर बोर्ड को अंततः कांडला पत्तन न्यास में मिला दिए जाने के बारे में कांडला डॉक लेबर बोर्ड के कर्मकारों और कांडला पत्तन न्यास के प्रबंधन के बीच एक समझौता हो गया है।

2. अतः, अब, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (महापत्तनों पर लागू न होना) अधिनियम, 1997 (वर्ष, 1997 के अधिनियम सं. 31) की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, यह निदेश देती है कि डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (वर्ष, 1948 के अधिनियम सं. 9) के उपबंध, वर्ष, 2007 के जनवरी माह के 24 वें दिन से कांडला पत्तन पर लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. एल बी-13022/6/97-एल. IV]

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT  
AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2007

S. O. 79(E).—Whereas a settlement has been arrived at between the Kandla Dock Labour Board, its workmen and the management of Kandla Port Trust for eventual merger of Kandla Dock Labour Board with Kandla Port Trust, in accordance with the provisions of Section 2(p), Section 12(3) and Section 18 of the Industrial Disputes Act, 1947.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3, read with Section 4, of the Dock Workers' (Regulation of Employment) (Inapplicability to Major Ports) Act, 1997 (No. 31 of 1997), the Central Government hereby directs that the provisions of the Dock Workers' (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) shall cease to have effect in relation to the Port of Kandla with effect from 24th day of January, 2007.

[F.No.LB-13022/6/97-L.IV]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.